## क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

षविष्य निधि मवन, चारकोप पोयसर रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER Bhavishya Nidhi Bhavan. Charkop Poiser Road, Kandivil (W), Mumbai

	1 444 (1144)	
सं./ महा / म. नि. / प्रयोज्यता	दिनांक	
NO. MHUPFIAPPI 21008以 EME-VIII SPO-KEND [ NOI etal of	Date :	21-06-200
To:		
Mls. Anchor Security services		
A-802 Sea Bird Bldg. Opp.		
Malipami Chinal Digital Day of		
McJad (W) Mum 6 cui – Noo 095 विषय: कर्मचारी मविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजन का आवंटन।		
का आबंटन ।	ा - इसकी प्र	योज्यता - संकेत संख्या
Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1957 thereunder applicability thereof - Allotment of code number.	2 and th	e scheme framed
महोदय,		
Sirs,		
1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि से कर्मच	ारी भविष्य (	नेशि एवं एक्सि उपलब्ध
अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध है की :	सूचनाओं वे	अनुसार यह प्रकट होता
*. Your factory/establishment with all its branches and departments is brough	nė sasielaim s	
The state of the s	scheme f	ine purview or the
with effect from 15-06-2007: Information made available reveals that	••••••	The
and made available reveals that		
1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है रि	नसपर अधि	नेयम की घारा 1(3) के
वार्य नाम १५ प्रावण उपलब्ध आधानयम्, 1952 लागू होता है।		
(i) Your factory is engaged in	the Indu	stries specified in
Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisi under Section 1 (3) (a) of the Act.	ons Act,	1952 is applicable
अपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनिय मारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनिय	म की घांरा	1(3) (बी) के अनुसार
ii) Yours is an establishments classified as Expert Services		
he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 has be Sovernment of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the A	on made	applicable by the
े. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में जल्लिकित उन्होंग में जाए अस्ट्रिक के		(बी) के अनुसार भारत
वार अंदुर्भव स्थापनाओं के वर्ग ने अन्तमुत नहीं है। अत: आपकी स्थापना के अ-सूचियद्ध म	ाना गया है।	1
1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है; लेकिन इस शर्त ात्यापित हो जाए।		
1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information author verification of your records for prior periods.	available	and is subject to
1-ख) अधिनियम की घारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 🔝	<u>952 के</u> स्वे	च्छि स्य से विस्तार के

T. A & P/99/10,000

2	
सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं.	
ह सन्दर्भ में कर्मचारी मविष्य निधि प्रकिण उपलब्ध अधिनियन की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार क इस अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रुप से दि.	। प्रयोग करते हुअं भारत सरकार पाप्ती करके उसके लिए एन्एव्/
यह संकेत रांख्या नियत की गई है।	manager / 75
(1-B) With reference to your application No	952 under section 1 (4) ment namely MH/ fect from vers conferred on them
1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई यं रुरने के लिए एम्एच्/ क्ये जानेवाले सभी पंत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाएं।	
(1-C) The code No. MH/. 210084 is allotted to you for the purpose of the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Activament thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondent.	t, 1952 and the Scheme
2. आपको से कर्मचारी भविष्य निधि योजना	से परिवार पेन्शन
ोजना तथा से निक्षंप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है,	अगर अभीतक न किये हो, तो।
You are required to implement the provisions of the Employees' Provider 15-06-2007 Family Pension Scheme w.e.f. 15-06-2 inked Insurance Scheme w.e.f. 15-06-7007	and Deposit
). फैक्ट्री / स्थापना में या उसके काम के सम्बंध में कार्य करने वाला कर्मचारी मविष्य निधि योजना. १९५५ हो सदस्यत के लिए पात्र होगा।	२ की घारा २६ के अनुसार निधि
3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an en connection with to work of the factory / establishment shall be eligible for more	employee whorking in or nembership of the fund.
4. (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महागाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ क	) और अनर हो तो प्रतिधारणभत्ते *
16% 12% की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान के सभान होगा।	
4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 10%, 12% of allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, employee, every month. The contribution payable by the employee shall be expayable by the employer.	if any payable to each
(2) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल देतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चा या मासिक आधार पर अदा किया है।	हि वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक
(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance of the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.	etc. actually drawn during
(3) प्रत्येक अंशदान रूपये के नजदिक के चतृर्थाय में परिकलित किया जाएगा। जैसे का 125 या उसके अधिक के अनुसार गिने जाए।	पैसे रूपये के अगले उच्च चतृथांथ
(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i. counted as the next higher quarter of a rupee.	
(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रूपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक जाए और 50 से कम पैसे पेसे छोड दिया जाए ।	1
(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded of 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.	4
टिप्पणी:- किसी भी दिन आपनं 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10%, 12% अंव	दशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
Note: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you	will be liable to pay

(2) कर्मचारी म. नि. योजना 1952 इन्हें इसे कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दी प्रतियों में प्राप्त करना है तथा प.पे.नि. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपन्न सं 2

(ii) Form No. 2 under the These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office. also under F.P.F. Scheme, 1971.

	And the second s
(3) प्रपत्र सं. 5-ए	यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में अगरं उत्तरवीं परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपन्न के जिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।
(III) Form No. 5 - A	This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.
(4) प्रपन्न सं. 3-घ	इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री /स्थापना में पोषित किया जाना है।
(Iv) Form No. 3-A	This is to be maintained at the factory/establishment is respect of every employee who is a member.
(5) प्रपन्न सं. 6-ए	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।
(v) Form No. 6-A	This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.
(6) प्रपन्न सं. 12 - एं	यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए।
(iv) Form No. 12-A	This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.
(7) प्रपत्र सं. 5 और 10	यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गयाँ तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है। उनके सम्बन्धित विवरणियाँ है जिन्हे तारीख 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।
(vii) Form Nos.5 and 10	These are the returns of employees who have become new members or have left

- the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.
- 9. कर्मचारी भविष्य निश्चि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निश्चि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक ''ए'' में दिया है। शीघ गणक भी इससे संलग्न है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Officer and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure "A". A ready reckoner is also enclosed.
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले मविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल संक। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जॉच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रजिस्टर रखेगी।
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निम्नलिखित प्राप्त के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एव टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए असे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए ।
- 1.1. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observation:

(1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम

(i) Name of the Provident Fund Inspector. M'S. Rahate

(2) जॉच किये गये लेखा की अवधि					
	unts are checked	And the state of t			
(II) POROG for Willer acco	BIRD EIG WISONGG				
(3) मेट की तारीख					
		and the second of the second o			
(iii) Date of visit					
(4) टीका टिप्पणी		STATE STATE OF STATE			
	पिकी फैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/	यह संकेत			
	संख्या, प्रपत्र संख्या 9 और प्रपत्र संख्या 3 (प.पे.नि.)				
477, P. M.	/1,एमएच				
	क सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी ना				
/दिव्य सहस्रा की लेखा संख्या ही <b>ग</b>	र्व्ह है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)	The state of the s			
12 As state in para 2 show	ve the code number allotted to your fac	ctory/establishment is MH/ 2100814			
	12. As state in para 2 above, the code number allotted to your factory/establishment is MHV. 2100814  The account number of the individual members will be suffixed.				
by the serial numbers in wi	by the serial numbers in which they appear in Form No. 9, Form No. 3, (FPF). Thus the Account number of individual members will be MH/ 210084 /1, MH/ 210084 /2, MH/ 21008				
of individual members wil	of individual members will be MH/				
	hough the member bearing Account num				
	निध की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित				
		अदावना वामवारा भावन्य भाव एवं प्रावन्त अवन्त			
9	तार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।	and within the proportional time limit			
Delayed payment are light	re that the amount due to the Fund is	the arrears as provided in Section 14-			
Delayed payment are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14- B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.					
And the state of the second	नगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तृति के अभियोग भी ल				
	could also lie for non-payment of dues				
15. इस कार्यालय के ि .क आप	15. इस कार्यालय के ि ाक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे । तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं ; तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर मविष्य नििष्				
	क्सी प्रकार के मागदशन की अपेक्षा रखते हैं ; तो इस	कायालय का या निम्नालाखंत पत पर भावच्य । नाम			
निरीक्षक को लिख सकते है।	POPPOSA NEVER A POPPOSA NA SE CONTRA SE	t and the stance offered bloom			
15. An Inspector of this off	ice will be visiting your establishment.	You are requested to please alloid illini			
	owever, if you experience any difficulty or Provident Fund Inspector whose addres				
while to this chice of the r	-104idetit Laud mehaciot amose addres	is is given bolow.			
	श्री/श्रीमती				
ies fund	भविष्य निधि निरीक्षक				
Coll		TO THE SECOND SE			
Salara Salar	To black that the compression A. they have been	recognition in the second residence of the			
HARASHTRA &		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE			
HARASHTRA &		भवदीय,			
		क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक			
- JF//		महाराष्ट्र तथा गोवा			
a KUP	Dravidant Sund Inspector				
sh.	Provident Fund Inspector  w. M. S. Rahaute				
Olu					
	The second secon				

please acknowledge receipt of this communication

Regional Provident Fund Commissioner
S Po - K-10 Maharashtra and Goo.